न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 42 / 2023
अनवान : –

1. हंसराम पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 26/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 194 / 212 की कुल 26.3570 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र सुखराम दर्ज है जो की गलत है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम हंसराम पुत्र सुखराम है जो की प्रार्थी के समस्त कागजात यथा आधार कार्ड आदि में दर्ज है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सतवीर पुत्र नन्दराम के स्थान पर सतबीर पुत्र नन्दुराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज पता दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल पता ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का नाम हंसराम पुत्र सुखराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र सुखराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही हंसराम पुत्र सुखराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 194/212 की कुल 26.3570 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड, में प्रार्थी अपना नाम हंसराज पुत्र सुखराम के स्थान पर हंसराम पुत्र सुखराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम हंसराम पुत्र सुखराम अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 194/212 की कुल 26.3570 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **हंसराज पुत्र सुखराम के स्थान पर हंसराम पुत्र सुखराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम हंसराज पुत्र सुखराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के नाम हंसराज पुत्र सुखराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र सुखराम लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested